मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ0 3-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत निःशक्त बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में निःशक्तजन बालक/बालिकाओं के लिए छात्रगृह स्वीकृत करने विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

1. छात्रगृह में केवल उन्हीं छात्र–छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होनें शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पॉलीटेक्निक कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
2. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 या उससे अधिक निःशक्तता हो।
3. आवेदक सभी छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
4. बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक छात्रगृह का संचालन पृथक–पृथक भवनों में किया जावेगा।
5. छात्रगृह की स्थापना, संचालन व्यय तथा सुविधाओं की स्वीकृति के लिये कम से कम पाँच (अधिकतम सीमा नही हैं) छात्र अथवा छात्राओं का होना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक छात्रगृह में बिजली तथा पानी पर होने वाला व्यय प्रति छात्रगृह रूपये 1000/–प्रतिमाह का खर्च शासन की ओर से वहन किया जावेगा। यदि व्यय इससे अधिक हुआ तो अतिरिक्त राशि का वहन छात्रों के द्वारा बराबर–बराबर किया जायेगा।
7. विभाग द्वारा केवल मकान किराया, विद्युत एवं जलकर का वहन किया जावेगा। बर्तन, उपकरण, फर्नीचर, राशन–पानी, साफ–सफाई, अखबार, स्वीपर आदि शेष